

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

(654)

कार्यालय आदेश सं०- 06

पटना, दिनांक- 02/02/26

विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक-22.01.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में ACP नियमावली, 2003 एवं MACP नियमावली, 2025 में निहित प्रावधानों के तहत श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (तकनीकी सहित) के लिपिकीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के समक्ष स्तंभ-7 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन स्तर) में ACP/MACP की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कर्मि का नाम, पदनाम एवं कार्यालय	जन्म तिथि सेवानिवृत्ति	सेवा में योगदान एवं सेवा सम्पुष्टि की तिथि	पूर्व में स्वीकृत ACP/MACP की तिथि एवं वेतनमान	12/24 एवं 10/20/30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि	स्वीकृत ACP/MACP की देय तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुनील कुमार ठाकुर, उच्चवर्गीय लिपिक, कार्यालय कारखाना निरीक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ	14.09.1966 30.09.2026	11.09.1989 26.04.1997	प्रथम ACP <u>12.09.2001</u> 4500-7000	20 वर्ष 11.09.2009 30 वर्ष 11.09.2019	द्वितीय MACP <u>11.09.2009</u> 9300-34800 GP-4200 तृतीय MACP <u>10.01.2023</u> Level-7 (44900-142400)	दि०-11.09.2009 से द्वितीय MACP एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति की तिथि-10.01.2023 से तृतीय MACP की स्वीकृति।
2	श्री प्रेमचन्द्र राम, निम्नवर्गीय लिपिक, बिहार सचिवालय भोजशाला कार्यालय, पटना	01.03.1977 28.02.2037	01.07.2009 15.12.2025	नहीं	10 वर्ष 01.07.2019	प्रथम MACP <u>15.12.2025</u> Level-3 (21700-69100)	सेवा सम्पुष्टि की तिथि से प्रथम MACP की स्वीकृति।
3	मो० समसुद्दीन अंसारी, लिपिक, श्रम अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	01.12.1968 30.11.2028	15.03.1999 15.03.2001	प्रथम MACP <u>25.03.2013</u> 5200-20,200 ग्रेड पे-2800	20 वर्ष 15.03.2019	द्वितीय MACP <u>25.03.2023</u> लेवल-6 (35,400-1,12,400)	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 की कंडिका-14 के आलोक में लेखा परीक्षा में विलंब से उत्तीर्णता के चलते विलंब से प्राप्त प्रथम वित्तीय उन्नयन के 10 वर्ष बाद द्वितीय MACP की स्वीकृति।
4	श्री अभय कुमार सिंह, लिपिक, कार्यालय कारखाना निरीक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ	14.01.1969 31.01.2029	09.09.1991 26.04.1997	प्रथम MACP <u>23.02.2014</u> 5200-20,200 ग्रेड पे-2800	20 वर्ष 09.09.2011 30 वर्ष 09.09.2021	द्वितीय MACP <u>23.02.2024</u> लेवल-6 (35,400-1,12,400)	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 की कंडिका-14 के आलोक में लेखा परीक्षा में विलंब से उत्तीर्णता के चलते विलंब से प्राप्त प्रथम वित्तीय उन्नयन के 10 वर्ष बाद द्वितीय MACP की स्वीकृति।

2. श्री रामेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक, कार्यालय कारखाना निरीक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को पूरा नहीं करने तथा श्रीमती वीणा झा, सेवानिवृत्त निम्नवर्गीय लिपिक, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुंगेर के लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता एवं सेवा सम्पुष्टि की शर्त को पूरा नहीं करने के फलस्वरूप बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025 की कंडिका-16 में निहित प्रावधान के आलोक में ACP/MACP देय नहीं है।
3. वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।
4. संबंधित पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

- ज्ञापांक-2/बी0एस0सी0ई01-59/2016 श्र0सं0- 582 पटना, दिनांक- 02/07/26
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप श्रमायुक्त, मुंगेर/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/कारखाना निरीक्षक, पूर्णियाँ/श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

A
30/7/26
श्रमायुक्त, बिहार।